पत्रांकः– भवन/बजट–80–योजना (सहकारिता विभाग)–01/2023–24...10162 (M)

28/10/26

**बिहार सरकार**

**भवन निर्माण विभाग**

सेवा में,

**महालेखाकार (ले. एवं हक.) बिहार,**

वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषयः– सहकारिता विभाग की योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 में कुल ` 12,97,575/- **(बारह लाख संतानवे हजार पॉच सौ पचहत्तर रूपये)**मात्र के व्यय की स्वीकृति।

आदेशः– स्वीकृत।

कार्यपालक अभियंता, केन्द्रीय भवन प्रमंडल संख्या–1, पटना के द्वारा PMIS के माध्यम से समर्पित ऑनलाईन अधियाचना पर संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में सहकारिता विभाग की योजना के क्रियान्यवन हेतु निम्न विवरणीनुसार कुल 12,97,575/- **(बारह लाख संतानवे हजार पॉच सौ पचहत्तर रूपये)** मात्र के व्यय की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2026–27 में प्रदान की जाती हैः–

| क्र सं | प्रमंडल का नाम | अधियाचना आई0 डी0 | कार्य/योजना का नाम | स्वीकृत्यादेश संख्या/दिनांक | वर्ष 2026–27 में व्यय के लिए स्वीकृत राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | केन्द्रीय भवन प्रमंडल संख्या–1, पटना | 34926 | विकास भवन के द्वितीय तल पर स्थित सहकारिता विभाग, बिहार, पटना का जीर्णोद्धार संबंधी कार्य | 118/23.05.26 | 4,39,374/- (चार लाख उन्चालीस हजार तीन सौ चौहत्तर रूपये) |
| 2. | केन्द्रीय भवन प्रमंडल संख्या–1, पटना | 34577 | Renovation of sanitary installation, water supply and tiles work in S6 of co- operative deptt. at vikash bhawan,patna for the year 2025-26 | 120/23.05.26 | 8,58,201/- (आठ लाख अंठावन हजार दो सौ एक रूपये) |
| **कुल योगः–** | | | | | 12,97,575/- |

**(बारह लाख संतानवे हजार पॉच सौ पचहत्तर रूपये)**

2 उक्त कार्य पर राशि का व्यय शीर्ष मांग संख्या–03 के मुख्यशीर्ष–2059–लोक निर्माण कार्य, उपमुख्यशीर्ष–01–कार्यालय भवन, लघुशीर्ष–053–रख रखाव तथा मरम्मत, उपशीर्ष–0130–सहकारिता विभाग के भवन का अनुरक्षण एवं मरम्मत **विपत्र कोड–03–2059010530130** के विषय शीर्ष–27–लघु कार्य–0130.27.02 अनुरक्षण एवं मरम्मत अंतर्गत उपबंधित राशि से वित्तीय वर्ष 2026–27 में किया जायेगा।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, केन्द्रीय भवन प्रमंडल संख्या–1, पटना होंगे।

4. इस राशि के निकासी संबधित कोषागार से की जायेगी।

5. प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

6. स्वीकृत राशि के विरूद्ध आवंटन की कार्रवाई सी.एफ.एम.एस. के माध्यम से की जा रही है।

(संजेश कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव।